(157)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 तीन / विविध / रीवा / भू–रा. / 2017 /

विनोद कुमार आदि ——— आवेदक

विरूद्ध

रंजीत आहुजा आदि ——— अनावेदक

III/विविध/रीवा/भू०रा/2017/3222

भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदकगंण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा तीन / निगरानी / रीवा / भू–रा. / 2017 / 2728 प्रकरण में दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से प्रथम पृष्ठ पर ऊपर से तीसरी लाइन में 1243 / अपील / 2016–17 के स्थान पर 1243 / अपील / 1978–79 टंकित हो गया है।

2– यह कि, आदेश के पृष्ठ कमांक–2 के पैराग्राफ–3 के नीचे से लाइन नम्बर–2 में भूलवश 1243 / अपील / 2016–17 के स्थान पर 1243 / अपील / 1978–79 टंकित हो गया है।

3– यह कि, उक्त आदेश के ही आदेश के पृष्ठ कमांक–3 के पैराग्राफ–4 के नीचे से लाइन नम्बर–3 में भूलवश 1243 / अपील / 2016–17 के स्थान पर 1243 / अपील / 1978–79 टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर से तीसरी लाइन में 1243 / अपील / 1978–79 के स्थान पर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन/विविध/रीवा/भूरा/2017/3222

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
14–9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि तीन/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/2728 में पारित आदेश दिनांक 30.8.17 में त्रुटिपूर्ण आदेश की तीसरी लाईन में अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1243/अपील/16–17 के स्थान पर 1243/अपील/1978–79 टंकित हो गया है एवं इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 2 के पैराग्राफ 3 के नीचे से लाईन न0 2 में भूलवश 1243/अपील/16–17 के स्थान पर 1243/अपील/1978–79 टंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 3 के पैराग्राफ 4 के नीचे से लाईन न0 3 में भूलवश 1243/अपील/16–17 के स्थान पर 1243/अपील/1978–79 टंकित हो गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्र0 क0 1243/अपील/1978–79 के स्थान पर प्र0 क0 1243/अपील/2016–17 किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है । तथा तीसरी लाईन में अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1243/अपील/1978–1979 के स्थान पर प्रकरण कमांक	

तीन/विविध/रीवा/भूरा/2017/3222

//2//

1243/अपील/2016–17 पढ़ा जावे। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 2 के पैराग्राफ 3 के नीचे से लाईन न0 2 में प्रकरण कमांक 1243/अपील/1978–1979 के स्थान पर प्रकरण कमांक 1243/अपील/2016–17 पढ़ा जावे। तथा इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 3 के पैराग्राफ 4 के नीचे से लाईन न0 3 में प्रकरण कमांक 1243/अपील/1978–1979 के स्थान पर प्रकरण कमांक 1243/अपील/2016–17 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य